101

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1375-चार/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 25-10-2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 654/2007-08 अपील

1– रामदेव पुत्र रामेश्वर पटेल
ग्राम किरहाई तहसील अमरपाटन
2– महिला फूलवाई पत्नि कौशलप्रसाद पाण्डेय
ग्राम कोटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– लक्ष्मण पटैल पुत्र जागेश्वर
2– महिला पंचुलिया पत्नि श्यामसुन्दर
3– गंगादीन 4– हनुमानदीन 5– महेश
6– सुदर्शन पुत्रगण श्यामसुन्दर पटैल
7– मंगलदीन पुत्र मोहन पटैल
8– रामकुमार पुत्र ईश्वर दीन पटैल
9– रामगोपाल 10– रामसजीवन पुत्रगण नर्वदा पटैल
11–दशरथ पुत्र रामेश्वर पटैल
12–रमाकान्त पुत्र रघुवरदीन पटैल
13– वीरेन्द्र कुमार पुत्र रघुवरदीन पटैल
14– मुस.बुटान पत्नि स्व. रघुवरदीन पटैल
सभी निवासी ग्राम किरहाई तहसील अमरपाटन जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 08 – 08 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र.क. 654/07-08 अपील में पारित आदेश दि0 25-10-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष व्दारा धारित भूमियों का

बटवारा/नामान्तरण राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन ने नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4, 5, 6 पर आदेश दिनांक 24-7-87 से कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन ने प्रकरण कमांक 243/1999-2000 अपील में पारित आदेश, दिनांक 23-11-2007 से अपील स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 24-7-87 निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्णय दिया :-

" अतः राजस्व निरीक्षक व्दारा नामान्तरण पंजी क0 4,5, व 6 में पारित आदेश दिनांक 24-7-87 को निरस्त किया जाता है , अपील स्वीकार की जाती है, तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमियों को रिस्पा. क. 1 रामदेव तनय रामेश्वर पटैल, रिस्पा. क. 11 दशरथ तनय रामेश्वर पटैल, रिस्पा.क. 12 मुस. सेवा रघुवरदीन, रिस्पा.क. 13 रमाकान्त पिता रघुवर दीन , रिस्पा. क. 14 वीरेन्द्र कुमार तनय रघुवरदीन का नाम प्रश्नाधीन भूमियों में जहां जहां अंकित हो, निरस्त कर उनकी जगह अपीलांट लक्ष्मण पटैल तनय जागेश्वर पटैल सा. किरहाई का नाम दर्ज किया जाय। पक्षकारों के पास यदि कोई बैधानिक स्वत्व अंतरण से संबंधित दस्तावेज हो तो नये सिरे से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमानुसार नामान्तण का आवेदन कर सकते है।"

अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश के विरूद्ध आवेद क्र-1 ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र.क. 654/07-08 अपील में पारित आदेश दि0 25-10-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन ने ग्राम किरहाई की कुल भूमि 14-65 एकड़ का बटवारा/नामान्तरण ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4, 5, 6 पर

आदेश दिनांक 24-7-1987 से किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 एंव 110 में राजस्व निरीक्षक को नामान्तरण सह विभाजन की शक्तियां प्राप्त नहीं है। संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है कि नामांत्रण पंजी पर पक्षकारों के बीच बटवारा स्वीकृत किया जावे , क्योंकि बटवारे हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन देना अनिवार्य है। राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन व्दारा अधिकारिता-विहीन कार्यवाही की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने आदेश दिनांक 23-11-2007 से निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क. 654/07-08 अपील में पारित आदेश दि0 25-10-08 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश दिनांक 23-11-07 के अंतिम पद में दिये गये निर्णय से परिलक्षित है कि पीढ़ित पक्षकारों को विधिपूर्वक हक अर्जन पर सक्षम न्यायालय में नामान्तरण / बटवारे का आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23-11-07 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दि0 25-10-08 में लिये गये समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र.क. 654/07-08 अपील में पारित आदेश दि0 25-10-08 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर